

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे लिखे सुविधा हो।



ग्राम : शूक्रीवर्ती  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3526

दिनांक: 30/07/11

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(टी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : राजीव गांधी वॉकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, उरवाई गेट, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्रीमती कस्तूरी बाई बरेला, सदस्य, कार्यपरिषद्  
2. डॉ. आई. खान रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, श्योपुर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

*[Signature]*  
अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

### प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, राजीव गांधी वॉकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, उरवाई गेट, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए.डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

*[Signature]*  
अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जि कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सावेदा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (बिवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4246

दिनांक : २१/१२/११

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार आर.जी.झी.टी. कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.सी.ए. प्रथम, बी.कॉम. प्रथम पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अंतर्गत की जावे।
- पाठ्यक्रम से संबंधित 2 लाख की पुस्तके क्रय की जावे।
- टीडिंग रूप्र को विकसित किया जावे।
- खेल सुविधाओं का विकास तथा एक क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति 28(17) के अंतर्गत की जावे।
- 28(17) का पालन किया जावे।

नोट:- समिति द्वारा प्रथम वर्ष में सीट संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

आदेशानुसार  
Jiwaji  
कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, आर.जी.झी.टी. कॉलेज, साक्षी परिषद, उरवाई गेट, ग्वालियर।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R.D.L  
सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र अन्तर कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बहु से ही फैक्य जारे न  
किए किनी अब पदाधिकारी के नाम से।  
उम्मेदवाहित विषय पर यही पूर्व में पत्र  
अवधारणा हो तो पत्र क्रमांक पूर्व दिनांक  
अवधारणा जारे जिससे समिति।



ग्राम : गृहीतपरिषद  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

फ्रॉमःएफ/सम्बद्धता/2009/ 4525

दिनांक: 09/02/14

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध गृजीत गांधी कौकेशबल ऐज्यूकेशन एण्ड ट्रेइंग कॉलेज, साथी परिसर, ग्वालियर (0751-2369749) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/सम्बालित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अन्यायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेद्यम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर; (संयोजक)  
(0751-2442828)


(2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर,

(3) प्रो. विषेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आचिवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेद्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुग्रह/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक ट्रॉफ की विवितयों का प्रमाण एवं वैतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधिवित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्ही कराता है तो समिति स्वतः निरीक्षण हो जावेगी और पुक्क निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को ८०० रुपये रु. 25,000/- जग्म करने होंगे। तथ्यस्थात ही निरीक्षण समिति का पुरुग्रन्थ किया जायेगा। परिवेद्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरूप अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की नस्तुत्यिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओट भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
 विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज  
 कि निस्ती अव्य पदाधिकारी के नाम से।  
 सम्बोधित विषय पर यहि पूर्व में पत्र  
 व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
 अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
 दूरभाष : (0751) 2341896  
 (0751) 2442829  
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
 कुलसचिव,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय  
 ग्वालियर  
 क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/५७८८

दिनांक: ११.६.१२

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध याजीव गांधी वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, उरवाई गेट, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संघीयता एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/दिवियों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोः यथायां समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अवधारित जिम्मेदारी समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
 (0751-2442630)
- (2) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याक्तिगत, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर।
- (3) डॉ. रमेश शर्मा, प्राचार्य, संचयोगी मानसिंह शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

बिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमति है कि वे परिवियम 27/28 के प्रवधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष बिरीक्षण कर शुल्क, घरेहर सहि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त इनुगति/अवापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्स तथा पिछले सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विवृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारें अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के नियमानुसार 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावे हैं। इस समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहकों के प्रावार्ग्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित है कि वे अपने महीनों का बिरीक्षण विधारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय बिरीक्षण हेतु तिथि के बिधारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एन नाह तक संयोजक से उपर्युक्त गही करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति द्वारा के सदस्यों के साथ किसी भी दिवं संबंधित महाविद्यालय का बिरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जगा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता नम्बर्की किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। जा ही ग्राहकों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बद्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुतियों से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियमित दिनांक विधारित कर महाविद्यालय द्वारा बिरीक्षण करायें। उक्त बिरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सारपुडा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जैजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)